

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 849/2019

- 1 उग्रसेन पुत्र गोर्धनराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 आत्माराम पुत्र गोर्धनराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 पृथ्वीराज पुत्र गोर्धनराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

- 1 कमला पुत्री गोर्धनराम पत्नी नानकराम जाति जाट निवासी 3 जी जी आर टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
- 2 कृष्णलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 श्रवणकुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 4 सुभाष पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 5 रामदयाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 6 ओमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

- 1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)
- 2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
- 3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट निर्णय

दिनांक :- 12.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 4 एस डी एस जमाबदी सम्बत 2068-2071 खाता संख्या 95/90 प.न. 71/122 मु.न. 31 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 3.795 है. नहरी, प.न. 71/123 मु.न. 34 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 16 में 1.771 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 72/123 मु.न. 33 कि.न. .1, 10, 11, 20 में 1.012 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 6.578 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है।



*Handwritten signature*  
उपखण्ड अधिकारी  
सादुलशहर

नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 18 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 14/15 प.न. 101/138 मु.न. 23 कि.न. 11, 12, 20, 21 में 1.012 है। नहरी, प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 10/3 में 0.126 है। नहरी, कि.न. 11 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है। नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.228 है। नहरी, 0.025 है। गै.मु. रास्ता, कि.न. 17 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है। नहरी, कि.न. 24 में 0.253 है। नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है। नहरी, 0.025 है। गै.मु. रास्ता कुल 3.162 है। नहरी मय गै.मु. रास्ता, प. न. 99/138 मु.न. 25 कि.न. 5, 6, 15, 16 प्रत्येक में 0.228 है। नहरी, 0.025 है। खाला कुल 1.012 है। नहरी मय खाला कुल 5.186 है। नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला आराजी में से वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा यानि 2.593 है। आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 18 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 81/77 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 21 ता 23 में 0.759 है। नहरी, प.न. 99/138 मु.न. 25 कि.न. 24, 25 में 0.506 है। नहरी मय खाला, प.न. 99/139 मु.न. 26 कि.न. 2, 3, 19 में 0.759 है। नहरी मय खाला, प. न. 101/139 मु.न. 28 कि.न. 1 में 0.253 है। नहरी मय खाला कुल खाता 2.277 है। नहरी मय खाला आराजी में से वादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गोधनराम के नाम 1/2 हिस्सा यानि 1.1385 है। व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पिता हेतराम के नाम 1/2 हिस्सा यानि 1.1385 है। आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। दावा की मद संख्या 2 ता 4 में दर्ज आराजी वादाधीन आराजी वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुयी है एव प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की बहिन है जो कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण की बहिन है की शादि व भात एव अन्य समारोह में वादीगण ने संयुक्त रूप से उसके हक हिस्सा को ध्यान में रखते हुये अच्छा दान दहेज एव उपहार दिये है एव प्रतिवादी संख्या 1 के किसी भी कार्य में उपस्थित होते है जिससे खुश होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने विरासतन भूमि में अपने हक हिस्सा को अपने भाईयों वादीगण संख्या 1 ता 3 के हक में छोड़ दिया था एव कभी भी वादीगण से अपने हक हिस्सा की मांग नहीं की है एव वादीगण ही वादाधीन आराजी को पारिवारिक बंटवारानूसार काशत करते आ रहे है , वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हुये पारिवारिक बंटवारानूसार अपने हक हिस्सा में आयी आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वादीगण के पिता गोरधनराम व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के पिता हेतराम दोनों सगे भाई थे एव वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पिताओं के नाम दर्ज आराजी का बंटवारा दोनों के जीवनकाल में ही आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व हो गया था एव मुताबिक बंटवारा दोनों भाई अपने अपने कब्जा काशत के किला विशेष आराजी को काशत करने लग गये थे एव उनकी मृत्यूपरांत वादीगण एव प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को काशत करने लग गये एव आज भी उसी बंटवारानूसार काबिज होकर काशत करते आ रहे है। चूंकि उक्त आराजी के अलावा वादीगण एव प्रतिवादीगण के पास चक 11 पी टी पी व चक 12 पी टी पी में भी विरासतन आराजी है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज मुताबिक बंटवारा किला विशेष अनुसार हो चुका है। वादीगण के हक हिस्सा में मुताबिक पारिवारिक



ए.व.म.ग.  
उपखण्ड अधिकारी  
सादलशहर

बंटवारानुसार निम्न प्रकार से आराजी प्राप्त हुयी है-चक 4 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2068-2071 खाता संख्या 95/90 प.न. 71/122 मु.न. 31 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 3.795 है. नहरी, प.न. 71/123 मु.न. 34 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 16 में 1.771 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 72/123 मु.न. 33 कि.न. 1, 10, 11, 20 में 1.012 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 6.578 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. प्राप्त हुयी है एवं उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने योग्य है।चक 18 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 14/15 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 11 में 0.189 है. नहरी, कि.न. 12 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 17 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता कुल 2.972 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. आराजी प्राप्त हुयी है एव उक्त खाता से 0.379 है. आराजी तक प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का नाम कलमजन किये जाने योग्य है।चक 18 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 81/77 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 21, 22, 23 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.759 है. नहरी आराजी वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. प्राप्त हुयी है एव उक्त खाता से स्व. गोखनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को प्राप्त हुयी 0.759 है. आराजी के अलावा शेष बची 0.379 है. आराजी प्रतिवादीसंख्या 2 ता 6 के नाम दर्ज कागजात किये जाने योग्य है। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार प्राप्त किला विशेष आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सांझा खाता में दर्ज रिकॉर्ड रहने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सांझा खाता मे दर्ज होने के कारण वादीगण को अपने हक हिस्सा की आराजी में डिग्गी निर्माण, ट्यूबवेल कनेक्शन आदि लेने से पूर्व सहकाश्तकारान प्रतिवादीगण की सहमति की आवश्यकता पड़ती है जो कि प्रतिवादीगण अपनी सहमति नहीं देते है और वादीगण को उन्नते खेती बागवानी आदि लगाने मे मिलने वाले अनुदानों का लाभ नहीं मिल पाता है एव प्रतिवादीगण सहकाश्तकारान होने के कारण वादीगण को किसी भी प्रकार का निर्माण या बागवानी नहीं लगाने देते है। इस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर खाता अलग कायम करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा-वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि:- चक 4 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2068-2071 खाता संख्या 95/90 प.न. 71/122 मु.न. 31 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 3.795 है. नहरी, प.न. 71/123 मु.न. 34 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 16 में 1.771 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 72/123 मु.न. 33 कि.न. 1, 10, 11, 20 में 1.012 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 6.578 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।चक 18 पी टी पी जमाबदी सम्वत



*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 सादलशहर

2070-2073 खाता संख्या 14/15 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 11 में 0.189 है. नहरी, कि.न. 12 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15 , 16 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता, कि.न .17 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता कुल 2.972 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एव उक्त खाता से 0.379 है. आराजी तक प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का नाम कलमजन किया जावे। चक 18 पी टी पी जमाबदी सम्बत 2070-2073 खाता संख्या 81/77 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 21, 22, 23 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.759 है. नहरी आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एव उक्त खाता से स्व. गोरधनराम का नाम कलमजन किया जावे एंव वादीगण को प्राप्त हुयी 0.759 है. आराजी के अलावा शेष बची 0.379 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम ब.हि.ब. दर्ज कागजात की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की , पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादाधीन आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुयी है प्रतिवादीसंख्या 1 वादीगण की बहिन है व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 वादीगण के भाई है जो कि वादीगण पारिवारिक बंटवारा के अनुसार खातेदारी घोषणा एव खाता तकसीम का अनूतोष चाह रहे है वादाधीन आराजी वादीगण की विरासतन भूमि है एव वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काशत की किला विशेष आराजी के सम्बध में किसी भी प्रतिवादीगण ने असालतन या वकालतन उपस्थित होकर विरोध नही किया है एव प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल कथन पेश कर वादीगण के कथनों में अपनी सहमति दी है एव पारिवारिक बंटवारा को स्वीकार किया है जो कि वादीगण वादाधीन आराजी के रिकॉर्डड खातेदार काशतकार है एव मुताबिक रिकॉर्ड अपने हक हिस्सा एव कब्जा काशत की किला विशेष आराजी का खाता अलग कायम करवाना चाहते है जिस सम्बध में वादीगण ने निवेदन किया है कि अन्य किसी सहकाशतकार के साथ वादीगण का कोई विवाद नही है , इस प्रकार वादीगण ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है , अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (1) चक 4 एस



*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
सादुलशहर

डी एस जमाबदी सम्वत 2068-2071 खाता संख्या 95/90 प.न. 71/122 मु.न. 31 कि.न. 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 3.795 है. नहरी, प.न. 71/123 मु.न. 34 कि. न. 4 ता 7, 14 ता 16 में 1.771 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 72/123 मु.न. 33 कि.न. .1, 10, 11, 20 में 1.012 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 6.578 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।(2) चक 18 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 14/15 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 11 में 0.189 है. नहरी, कि.न. 12 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15 , 16 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै. मु. रास्ता, कि.न. .17 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता कुल 2.972 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से 0.379 है. आराजी तक प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है। (3) चक 18 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 81/77 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 21, 22, 23 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.759 है. नहरी आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से स्व. गोस्धनराम का नाम कलमजन किया जाता है एवं उक्त खाता में स्व. गोस्धनराम के नाम दर्ज आराजी में से वादीगण को प्राप्त हुयी 0.759 है. आराजी के अलावा शेष बची 0.379 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम ब.हि.ब. दर्ज कागजात की जावे। उक्तानुसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Edm/47  
12/12/20  
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
साहयपुर

